



राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - मध्यप्रदेश  
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र. 8934 / NREGS-MP / NR-5 / 2008

भोपाल, दिनांक 25/9 / 2008

प्रति,


1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक  
जिला - ..... समस्त (मध्यप्रदेश)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
जिला पंचायत - ..... समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय:- योजनांतर्गत नि:शक्तजन को कार्य के अवसर उपलब्ध कराना।

संदर्भ:- नि:शक्तजन कार्यशाला दिनांक 05 अगस्त 08।

विषयांतर्गत नि:शक्तजन को योजनांतर्गत कार्य के अवसर उपलब्ध कराने के कार्य के प्रति संवेदनशीलता के साथ और अधिक प्रयासों की आवश्यकता संदर्भित कार्यशाला में अनुभव की गई है। कार्यशाला में नि:शक्तजन कार्य के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा नि:शक्तता के प्रकार के आधार पर कार्यों का चिन्हांकन किया गया है। संलग्न विवरण के आधार पर योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों में नि:शक्तजन को शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में कराई जाए और क्रियान्वयन एजेंसियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाए।

संलग्न: विवरण

  
(रश्मि अरुण शमी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25/9 / 2008

पृ.क्र. 8934/नि / NREGS-MP / NR-5 / 2008

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त 50 जिलों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी समस्त जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(रश्मि अरुण शमी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

## विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षमता अनुसार कार्य वर्गीकरण

### रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

- 1 जल संरक्षण एवं संवर्धन
  - सूखा रोकने, वन रोपण/वृक्षारोपण
  - सिंचाई हेतु नहरें लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य
- 2 भूमि सुधार एवं इन्दिरा आवास के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के हितग्राही परिवारों की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- 3 परम्परागत जल संरचनाओं का पुनरुद्धार करना।
- 4 तालाबों की गाद निकालना।
- 5 भूमि का विकास।
- 6 बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी।
- 7 12 मासी सड़को के रूप में ग्रामीण सड़क सम्पर्क।
- 8 राज्य सरकार की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कार्य जो अधिसूचित किये जावें।

### उपरोक्त सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षमता अनुसार कार्य :-

1 पीने का पानी की व्यवस्था	2 बच्चों की देखभाल में मदद।
3 वृक्षारोपण का कार्य	4 सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य
5 मिट्टी भरना	6 मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना।
7 भवन निर्माण - कांक्रीट मटेरियल बनाना	8 कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।
9 सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना	10 रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।
11 नई सिमेंटेड दिवार पर पानी डालना	12 कुआँ गहरीकरण-कुएँ के अन्दर मिट्टी को टोकरी में डालना।
13 गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना	14 मलबे को ट्राली में डालना
15 तालाबों के मलबे को खोदना	16 मलबे को तगारी में भरना
17 भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना	18 ऐरेन या पत्थर लाना
19 ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना	20 भूमि समतलीकरण का कार्य करना
21 मेढ़ बंधान करना।	22 जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना
23 खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना	24 सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना
25 पानी डालना, गिट्टी डालना	

### असिध्बाधित व्यक्तियों द्वारा किये जाने योग्य कार्य :-

#### 1. एक हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीने का पानी की व्यवस्था</li> <li>• वृक्षारोपण का कार्य।</li> <li>• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना</li> <li>• कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना</li> <li>• मेढ़ बंधान करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बच्चों की देखभाल में मदद।</li> <li>• सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना।</li> <li>• नई बनी दिवार को पानी डालना।</li> <li>• पानी डालना, गिट्टी डालना।</li> </ul>
---	---

## 2. दोनो हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- बच्चों की देखभाल में मदद।

(परिवार के सदस्यों द्वारा या बच्चों द्वारा मदद की जा सकती है, या उन्हें भी काम दिया जा सकता है। जिससे विकलांग व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्म बल भी बढ़ेगा।)

## 3. एक पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

सहारे के द्वारा कार्य	बिना सहारे के द्वारा कार्य
<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीने का पानी की व्यवस्था।</li> <li>• बच्चों की देखभाल में मदद।</li> <li>• वृक्षारोपण का कार्य।</li> <li>• पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।)</li> <li>• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।</li> <li>• कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीने का पानी की व्यवस्था</li> <li>• बच्चों की देखभाल में मदद</li> <li>• वृक्षारोपण का कार्य</li> <li>• सिंचाई – नहर खुदाई का कार्य</li> <li>• मिट्टी भरना।</li> <li>• मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना।</li> <li>• भवन निर्माण – कांक्रीट मटेरियल बनाना।</li> <li>• कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।</li> <li>• सीमेन्ट व ईट लठाकर पहुँचाना।</li> <li>• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।</li> <li>• पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।)</li> <li>• कुआँ गहरीकरण – कुएँ के अन्दर गल को टोकरी में डालना।</li> <li>• गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।</li> <li>• मलबे को ट्राली में डालना।</li> <li>• तालाबों के मलबे को खोदना।</li> <li>• मलबे को तगारी में भरना।</li> <li>• भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना।</li> <li>• ऐरेन या पत्थर लाना।</li> <li>• ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना।</li> <li>• भूमि समतलीकरण का कार्य करना।</li> <li>• मेढ़ बंधान करना।</li> <li>• जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना।</li> <li>• खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना।</li> <li>• सड़क निर्माण – कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।</li> <li>• पानी डालना, गिट्ठी डालना।</li> </ul>

## 4. दोनो पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- बच्चों की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।

- रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।
  - गल को कुएँ से बहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।
- (कुएँ से मलबा बड़े डाले में भरा जाता है और दस से पन्द्रह व्यक्ति को खिंचना पड़ता है, यदि यह मलबा भरने का कार्य छोटे डाले में भरा जाये और दस पन्द्रह व्यक्तियों की जगह तीन से चार विकलांग व्यक्ति ही बैठे - बैठे ही खिंचे तो कार्य भी जल्दी होगा और अपेक्षाकृत मानव श्रम भी कम लगेगा। साथ ही विकलांग व्यक्तियों को भी कार्य मिल सकेगा।)
- कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।

#### 5. पैर व एक हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

सहारे के द्वारा कार्य	बना सहारे के द्वारा कार्य
<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीने का पानी की व्यवस्था</li> <li>• बच्चों की देखभाल में मदद</li> <li>• वृक्षारोपण का कार्य</li> <li>• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना</li> <li>• कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना</li> <li>• पानी डालना, गिट्ठी डालना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीने का पानी की व्यवस्था</li> <li>• बच्चों की देखभाल में मदद</li> <li>• वृक्षारोपण का कार्य</li> <li>• पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना)</li> <li>• कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना</li> <li>• पानी डालना, गिट्ठी डालना</li> </ul>

#### 6. ऐसी कमजोरी जिसमें भीट पर कुबड़ को खन व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य

- पीने का पानी की व्यवस्था।
- बच्चों की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।
- निर्माण स्थल पर नई बनी दिवारों को पानी देना।
- कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।
- पानी डालना, गिट्ठी डालना।

#### दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्य

#### 1. एक आंख से न दिखाई देना एवं दुसरी से कम दिखाई देना उन व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य

<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीने का पानी की व्यवस्था।</li> <li>• वृक्षारोपण का कार्य।</li> <li>• मिट्टी भरना।</li> <li>• भवन निर्माण - कांक्रीट मटेरियल बनाना।</li> <li>• सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना।</li> <li>• पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बच्चों की देखभाल में मदद।</li> <li>• सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य</li> <li>• मिट्टी को बाहर फेकना/ट्राली में डालना।</li> <li>• कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।</li> <li>• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।</li> <li>• गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• मलबे को ट्राली में डालना।</li> <li>• मलबे को तगारी में भरना।</li> <li>• ऐरेन या पत्थर लाना।</li> <li>• भूमि समतलीकरण का कार्य करना।</li> <li>• जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गट्ठा करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• तालाबों के मलबे को खोदना।</li> <li>• भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना।</li> <li>• ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना।</li> <li>• मेढ बंधान करना।</li> <li>• खन्ति/गट्ठे की मिट्टी को अलग जमाना।</li> </ul>

- सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।
- पानी डालना, गिट्ठी डालना।

2. **दोनों आंखों से न दिखाई देने वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-**

- पीने का पानी की व्यवस्था।
  - बच्चों की देखभाल में मदद।
  - वृक्षारोपण का कार्य।
  - रेत या गिट्ठी को तगारियों में भरना।
- परिवार के सदस्यों को भी कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास हो कि विकलांग व्यक्ति घर पर बोझ नहीं है, अपितु इनकी बदौलत परिवार में एक आय का जरिया भी बना है।
- ऐसे कार्यों को विकलांग व्यक्ति से करवाने के लिए उन्हें शांति से समझाना चाहिए, साथ ही कार्य के तरीके व उस क्षेत्र की दूरी को उनके कदमों के नाप से प्रशिक्षण देने कि आवश्यकता है।

3. **क्षीणदृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-**

• पीने का पानी की व्यवस्था।	• बच्चों की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य
• मिट्टी भरना।	• मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना।
• भवन निर्माण - कांक्रीट मटेरियल लाना।	• कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।
• सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना।	• रेत या गिट्ठी को तगारियों में भरना।
• पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।)	• गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।
• मलबे को ट्राली में डालना।	• तालाबों के मलबे को खोदना।
• मलबे को तगारी में भरना।	• भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना।
• ऐरेन या पत्थर लाना।	• ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना।
• भूमि समतलीकरण का कार्य करना।	• मेढ़ बंधान करना।
• जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना।	• खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना।
• सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।	• पानी डालना, गिट्ठी डालना।

**मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-**

1. **अतिअल्प मंदबुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-**

• पीने का पानी की व्यवस्था।	• बच्चों की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य
• मिट्टी भरना।	• मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना।
• कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।	• सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना।
• रेत या गिट्ठी को तगारियों में भरना।	• मलबे को ट्राली में डालना।
• तालाबों के मलबे को खोदना।	• मलबे को तगारी में भरना।
• भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना।	• ऐरेन या पत्थर लाना।
• ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना।	• भूमि समतलीकरण का कार्य करना।
• मेढ़ बंधान करना।	• जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना।

• खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना।	• सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।
• पानी डालना, गिट्टी डालना।	

नोट :- एक बार कार्य को निर्देशित करने की एवं एक बार करके बताने की जरूरत है। ये व्यक्ति कार्य को समझने के बाद कार्य को बेहतर व अच्छा कर सकते है।

## 2. अल्प मंदबुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

• पीने का पातों की व्यवस्था।	• बच्चों की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• मिट्टी भरना।
• मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना।	• रेत या मिट्टी को तगारियों में भरना।
• मलबे को ट्राली में डालना।	• कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।
• पानी डालना, गिट्टी डालना।	

- सहयोग के रूप में दूसरों के साथ मिलकर अच्छा कार्य कर सकते है।
- सिर पर तगारी चढ़ा देने पर मलबे को फेंकने का कार्य कर सकते है।

**मानसिक रोग से उपचारित व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य**  
यह व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, सिर्फ संख्यात्मक रूप से कुछ कम हो सकती है।

**श्रवणबाधित एवं दृष्टीबाधित व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य**  
यह व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, सिर्फ एक बार कार्य को निर्देशित करना की एक एक बार उधार से करके बताने की जरूरत है।